

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 545]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2016—पौष 6, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2016

अधि. क्र. 41-एफ 1-26-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23, सन् 1956) की धारा 80 के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37, सन् 1961) की धारा 109 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 2 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(गक) प्राधिकृत अधिकारी से अभिप्रेत है नगर पालिक निगम की दशा में आयुक्त तथा नगर पालिका तथा नगर परिषद् की दशा में मुख्य नगर पालिका अधिकारी;”;

Not. No. 41-F 1-26-2016-XVIII.-3.—In exercise of the powers conferred by Section 80 read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 109 read with Section 355 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Municipal (Immovable Property) Rules, 2016, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 2, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

“(ca) 'Authorized Officer' means the Municipal Commissioner in case of a Municipal Corporation and Chief Municipal Officer in case of Nagar Palika and Nagar parishad;”;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल चंद्र डाड, उपसचिव.